मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग भोपाल

ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल, 2006

क्रमांक 922–म.प्र.वि.नि.आ.–06. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (1) सहपठित धारा 86 (1) (बी) एवं 86 (1) (जी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों के अनुपालन हेतु, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {विद्युत क्रय एवं अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) प्रक्रिया} विनियम, 2004, प्रथम पुनरीक्षण, 2006 जारी करता है :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {विद्युत क्रय एवं अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) प्रक्रिया} विनियम, 2004,

प्रथम पुनरीक्षण, 2006 {आरजी – 19 (आई), वर्ष 2006}

भाग 1 – सामान्य

1. ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {विद्युत क्रय एवं अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) प्रक्रिया} विनियम, 2004 प्रथम पुनरीक्षण, 2006 {आरजी–19 (आई), वर्ष 2006}" कहलायेंगे ।

1.1 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्र के समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को लागू होंगे तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये अथवा प्रस्तावित विद्युत क्रय पर लागू होंगे ।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे ।

भाग 2 – विनियमों का विस्तार

2. विद्युत अध्याप्ति विनियम दो भागों में विभाजित हैं (अ) दीर्घ–कालीन विद्युत अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) विनियम तथा (ब) अल्प–कालीन विद्युत अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) विनियम

दीर्घ–कालीन विद्युत अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) विनियम :

3. दीर्घ–कालीन विद्युत अध्याप्ति विनियम विद्युत मांग, ऊर्जा की आवश्यकता तथा विद्युत आपूर्ति की स्थितियों के दीर्घकालीन पूर्वानुमानों की अत्यावश्यक आधारभूत संरचना तथा निम्नों के विकास की आवश्यकताएं प्रस्तुत करते हैं :

   ए) राज्य के स्वामित्व वाले पुराने एवं नवीन उत्पादन स्त्रोतों के साथ विद्युत क्रय अनुबंध करना ।

   बी) केन्द्रीय सेक्टर संयंत्रों के साथ विद्युत क्रय अनुबंध करना ।

   सी) स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (इण्डिपेंडेंट पॉवर प्रोड्यसर्स – आई.पी.पी.) के साथ विद्युत क्रय अनुबंध करना ।

   डी) केप्टिव विद्युत संयंत्रों के साथ विद्युत क्रय अनुबंध करना ।

   ई) विद्युत व्यापारिक कंपनियों के साथ विद्युत क्रय अनुबंध करना ।

   एफ) किसी अन्य स्त्रोत के साथ विद्युत क्रय अनुबंध करना ।

4. वितरण अनुज्ञप्तिधारी दीर्घ–कालीन विद्युत अध्याप्ति योजना के प्रयोजन हेतु एक पांच–वर्षीय समय अवधि पर विचार करेगा । वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को उसके पांच–वर्षीय क्रमिक दीर्घ–कालीन विद्युत अध्याप्ति योजना, उसके प्रक्षेपणों की रूपरेखा तथा भावी पांच वर्षों हेतु योजनाएं प्रतिवर्ष प्रस्तुत करेगा ।

अल्प–कालीन विद्युत अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) विनियम :

5. अल्प–कालीन विद्युत अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) विनियम विद्युत मांग तथा आपूर्ति की स्थितियों के लिये अत्यावश्यक आधारभूत संरचना निम्न हेतु नियोजन किये जाने संबंधी प्रस्तुत करते हैं :

   ए) अल्प–कालीन विद्युत क्रय अनुबंध करना ।

   बी) राज्यीय उत्पादकों की वार्षिक संधारण अनुसूची तैयार करना ।

   सी) केप्टिव विद्युत संयंत्रों, विद्युत व्यापारिक कंपनियों तथा अन्य किसी स्त्रोत से अल्प–कालीन तात्कालिक व्यापार योजना तैयार करना ।

6. वितरण अनुज्ञप्तिधारी अल्प–कालीन विद्युत अध्याप्ति योजना के प्रयोजन हेतु एक–वर्षीय समय– अवधि पर विचार करेगा । वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को उसकी स्वयं की अल्प–कालीन विद्युत अध्याप्ति योजना, उसके प्रक्षेपणों की रूपरेखा तथा आगामी वर्ष की योजनाओं सहित प्रस्तुत करेगा ।

भाग 3 – विद्युत अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) नियोजन की आधारभूत संरचना

7. वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग से विद्युत की अध्याप्ति हेतु उसकी योजना के साथ पर्याप्त अग्रिम समय अवधि में प्रतिवर्ष सम्पर्क करेगा तथा विद्युत क्रयों के निष्पादन हेतु सुस्पष्ट अनुमोदन प्राप्त करेगा ।

8. इस संबंध में वितरण अनुज्ञप्तिधारी को स्वयं की याचिका में निम्न सम्मिलित करने होंगे :

ए) प्रक्षेपित मांग तथा विद्युत की आवश्यकता ।

बी) स्वयं के स्वामित्व वाले स्टेशनों से उत्पादन का पूर्वानुमान करना तथा समस्त स्टेशनों अथवा स्त्रोतों से विद्युत का क्रय किया जाना जिनके साथ अनुज्ञप्तिधारी के दीर्घ–कालीन विद्युत क्रय अनुबंध हैं ।

सी) विद्युत मांग तथा आपूर्ति के अन्तर का निर्धारण ।

डी) विद्युत मांग तथा आपूर्ति के अन्तर को पाटने बाबत् उक्त योजना के किस भाग को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भरा जावेगा तथा किस प्रकार इसका क्रियान्वयन किया जावेगा ।

भाग 4 – दीर्घ–कालीन विद्युत अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) योजना

दीर्घ–कालीन आवश्यकता तथा ऊर्जा पूर्वानुमान :

9. वितरण अनुज्ञप्तिधारी आगामी पांच वर्षों की मांग (मेगावाट में) तथा ऊर्जा आवश्यकता (मिलियन यूनिटों में) का निर्धारण किये जाने हेतु उत्तरदायी होगा । पांच–वर्षीय पुर्वानुमान में समस्त प्रमुख श्रेणियों की अबाधित मांग तथा ऊर्जा संबंधी आवश्यकता के पूर्वानुमान सम्मिलित होंगे ।

10. इस प्रयोजन के लिये वे समस्त श्रेणियां जिनके पूर्वानुमानों का कुल संयोजित भार कुल प्रणाली के संयोजित भार से 5 प्रतिशत अधिक है, को एक वृहद श्रेणी समझा जावेगा तथा इसमें उच्चदाब उद्योग, उच्च दाब रेलवे, उच्च दाब कोयला खदानें, कृषि, घरेलू, एकल बत्ती पाईंट (एसएलपी), निम्न दाब उद्योग, निम्न दाब वाणिज्यिक तथा अन्य कोई विद्यमान, नवीन अथवा विलीन की गई श्रेणी सम्मिलित होंगे ।

11. वितरण अनुज्ञप्तिधारी चालू मांग तथा ऊर्जा आवश्यकताओं को प्रातःकालीन शीर्ष समय (06:00 – 10:00), सायंकालीन शीर्ष समय (18:00 – 22:00) तथा शेष अशीर्ष समय में समस्त श्रेणियों हेतु संयुक्त रूप से प्राक्कलित करेगा । इस प्राक्कलन में भार कटौती योजनाओं पर समुचित विचार किया जावेगा।

12. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा शीर्ष समय की परिभाषा को अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त याचिका के आधार पर अथवा अधिसूचना द्वारा परिवर्तित किया जा सकेगा ।

13. इस पूर्वानुमान पर पांच–वर्षीय अवधि में प्रत्येक वर्ष हेतु विचार किया जावेगा ।

विद्युत मांग तथा ऊर्जा आवश्यकता के पूर्वानुमान हेतु उपयोग में लाये जाने वाले साधन एवं तकनीकें :

14. यह निर्धारण ऐतिहासिक आंकड़ों, व्यवसायिक योजनाओं के भविष्य के प्रक्षेपणों तथा पूर्व–अनुमानित परिणामों, दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रमों, विनिवेश योजनाओं, स्व–उत्पादन संयंत्रों, केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों एवं विद्युत के अन्य स्त्रोतों की संधारण अनुसूचियों के रूझानों एवं सांख्यिकी विश्लेषण पर आधारित होगा ।

15. प्राक्कलन में पूर्व वर्षों के परिवीक्षणों, चालू वर्ष के प्रक्षेपणों तथा आगामी पांच वर्षों की मांग के पूर्वानुमान तथा विद्युत आवश्यकता की आर्थिक गणना तथा उसके सांख्यिकी विश्लेषण पर विचार किया जावेगा । इसमें अन्य सुसंगत एवं प्रदत्त कराई गई जानकारी के अतिरिक्त निम्न तथ्यों पर भी विचार किया जावेगा :

ए) समग्र आर्थिक अभिवृद्धि के प्रक्षेपण ।

बी) आगामी पांच वर्षों हेतु, प्रातःकालीन शीर्ष, सांयकालीन शीर्ष एवं अशीर्ष समय अवधि की मांग एवं विद्युत आवश्यकता के श्रेणीवार पूर्वानुमान ।

सी) अबाधित मांग व विद्युत आवश्यकता तथा भार कटौतियों पर विचार ।

डी) भार कटौती की समयोचित लागत (Opportunity Cost) एवं सेवा लागत से इसकी तुलना तथा विद्युत का प्रक्षेपित न्यूनतम परिव्यय ।

ई) मांग पक्षीय प्रबंधन उपायों द्वारा पूर्वानुमान काल–अवधि में आवश्यकताओं में कटौती संबंधी योजनाएं ।

एफ) व्यावसायिक योजनाओं तथा दक्षता सुधार उपायों के क्रियान्वयन के कारण लाये जाने वाले प्रक्षेपित सुधार ।

उपलब्धता का निर्धारण :

16. मांग तथा विद्युत आवश्यकता के पूर्वानुमान के साथ, वितरण अनुज्ञप्तिधारी पांच–वर्षीय योजना अवधि के सभी माह में प्रातःकालीन शीर्ष, सायंकालीन शीर्ष तथा अशीर्ष समय अवधियों में विद्युत तथा ऊर्जा शक्ति की उपलब्धता पर विचार करेगा ।

17. प्रदाय पूर्वानुमान अन्य सुसंगत एवं प्रदत्त कराई गई जानकारी के साथ–साथ निम्न पहलुओं पर भी विचार करेगा :

ए) विद्यमान सांझे संसाधन मय राज्य के स्वामित्व वाले, केन्द्रीय स्वामित्व वाले तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के उत्पादन संयंत्र ।

बी) उत्पादन के साथ–साथ वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से पूर्ण रूपेण अनुबंध करना ।

सी) योजना अवधि में ऊर्जा के विद्यमान स्त्रोतों में से प्रत्येक की विद्युत तथा क्षमता उपलब्धि का पूर्वानुमान करना ।

डी) प्रारंभ किये जाने वाले नवीन उत्पादन स्टेशन ।

ई) पुराने विद्युत स्टेशनों को क्रमिक रूप से बन्द किया जाना अथवा उनकी संधारण विस्तार अवधि का विस्तार किया जाना/उनका उन्नयन किया जाना ।

निर्धारण में परामर्श अर्न्तनिहित करना :

18. वितरण अनुज्ञप्तिधारी दीर्घ–कालीन मांग तथा प्रदाय उपलब्धता संबंधी निर्धारण, किसी एक अथवा समस्त संबंधितों में से प्रत्येक राज्य सेक्टर उत्पादन कंपनियों, वितरण कंपनियों, निजी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, केन्द्रीय सेक्टर उत्पादन कंपनियों तथा पारेषण कंपनियों/क्षेत्रीय विद्युत मण्डल, राष्ट्रीय/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को सम्मिलित कर, से परामर्श द्वारा, करेगा।

दीर्घ–कालीन विद्युत अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) योजना

19. उपरोक्त भार एवं विद्युत शक्ति पूर्वानुमान तथा उपलब्धता के निर्धारण के आधार पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी आगामी पांच वर्ष की दीर्घ–कालीन विद्युत अध्याप्ति योजना तैयार करेगा ।

20. दीर्घ–कालीन विद्युत अध्याप्ति योजना में योजना अवधि में विद्युत शक्ति एवं ऊर्जा की शेष आवश्यकता पर विचार किया जावेगा जिसमें अनुबंधित की गई विद्युत अध्याप्ति व्यवस्थाओं से प्रारंभ होने वाले नवीन विद्युत स्टेशनों, अतिरिक्त क्षमता की अध्याप्ति संबंधी योजनाओं, भार कटौतियां, प्रतिस्पर्धा संबंधी आवेदन की प्रस्तावित विधि के साथ–साथ भिन्न–भिन्न विकल्पों के मूल्यांकन के मापदण्डों को सम्मिलित करते हुए परिगणना की जावेगी ।

21. दीर्घ–कालीन विद्युत अध्याप्ति योजना एक न्यूनतम लागत योजना (वितरण अनुज्ञप्तिधारी पर न्यूनतम वित्तीय लागत का भार डालने वाली) होगी जिसका अन्तिम उद्देश्य समस्त उपभोक्ताओं को सुरक्षित तथा विश्वसनीय विद्युत प्रदाय के साथ–साथ विद्युत प्रदाय नियोजन तथा सुरक्षा मानकों की तुष्टि करते हुए आर्थिक रूप से जीवनक्षम टैरिफ दर उसे उपलब्ध कराना है ।

21.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी पूर्व वर्षों के माहवार विवरण (मय वर्षवार योग सहित) जिसमें वह राज्य उत्पादकों, केन्द्रीय सेक्टर उत्पादन इकाईयों, अन्य कोई उत्पादक जिसके साथ दीर्घ–कालीन विद्युत क्रय अनुबंध किया गया है द्वारा उत्पादित विद्युत मात्रा दर्शाते हुए, लघु–कालीन क्रय मिलियन यूनिटों में तथा लाख रूपयों में प्रति यूनिट लागत दर्शाते हुए जानकारी प्रस्तुत करेगा ।

21.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी उसके प्रचालन क्षेत्र के माहवार तथा श्रेणीवार विक्रय एवं हानियों संबंधी जानकारी भी प्रस्तुत करेगा ।

दीर्घ–कालीन विद्युत अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) योजना के प्रस्तुतीकरण की समय सीमा :

22. आगामी वर्ष के लिये योजना प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक प्रस्तुत की जावेगी जिसमें पूर्व वर्ष की दीर्घ–कालीन विद्युत अध्याप्ति योजना तथा वार्षिक राजस्व आवश्यकता जैसी कि वह दायर करते समय प्रस्तुत की गई है तथा जैसी कि वह आयोग द्वारा अनुमोदित की गई है, में अन्तिम विस्तार गतिविधियों का समावेश करते हुए अद्यतन की जावेगी ।

आयोग द्वारा समीक्षा :

23. आयोग, दीर्घ–कालीन विद्युत अध्याप्ति योजना की प्राप्ति से दो सप्ताह के भीतर ऐसी अतिरिक्त जानकारी तथा आंकड़े, जैसे कि वह आवश्यक समझे, बुला सकेगा तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसी जानकारी पूछे जाने से दो सप्ताह के भीतर इसे प्रस्तुत करेगा ।

24. आयोग, अपने स्वविवेक अनुसार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत अध्याप्ति योजना का मुख्य विवरण ऐसे स्वरूप में तथा ऐसी विधि द्वारा प्रकाशित किये जाने हेतु निर्देशित कर सकेगा जैसा कि आयोग निर्धारित करे, तथा ऐसी सूचना में यह विनिर्दिष्ट करते हुए कि जनता का कोई भी सदस्य जो अपनी आपत्ति, टीप अथवा सुझाव दर्ज करने का इच्छुक हो वह इन्हें आयोग के कार्य संचालन विनियमों में दी गई विधि अनुसार इन्हें प्रस्तुत कर सकेगा । आयोग द्वारा ऐसे अभ्यावेदनों पर विचार किया जा सकेगा।

25. इस प्रक्रिया के पूर्ण होने पर, आयोग दीर्घ–कालीन विद्युत अध्याप्ति योजना को, ऐसे संशोधनों के साथ, जैसा कि वह उचित समझे, सम्पूर्ण जानकारी के प्राप्त होने के 60 दिवस के भीतर उसे स्वीकार करते हुए आदेश पारित करेगा ।

अन्य ध्यान देने योग्य बातें :

26. आवश्यकता के निर्धारण के आधार पर, भारत सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा दिनांक 06.01.2006 को अधिसूचित राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुसार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भविष्य की ऊर्जा की आवश्यकता की अध्याप्ति प्रतिस्पर्धा के द्वारा की जावेगी सिवाय ऐसी दशा में जबकि विद्यमान परियोजनाओं का विस्तार किया जाना हो अथवा जहां राज्य द्वारा नियंत्रित/राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी एक विकासरत कंपनी चिन्हित की गई हो तथा जहां आयोग को टैरिफ अवधारण की जाने की आवश्यकता निर्धारित मापदण्डों के आधार पर प्रतिपादित की गई हो बशर्ते निजी विकासरत कंपनी द्वारा इस

प्रयोजन हेतु उत्पादन क्षमता का विस्तार विद्यमान क्षमता से एक बार में अभिवृद्धि किया जाना 50 प्रतिशत से अनाधिक तक ही सीमित रखा जावेगा । मध्यम–कालीन तथा दीर्घ–कालीन अवधि हेतु विद्युत अध्याप्ति के टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के विस्तृत दिशा–निर्देश केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2005 को जारी अधिसूचना द्वारा किये जा चुके हैं ।

27. वितरण अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत क्रय अथवा दीर्घ–कालीन अथवा लघु–कालीन विद्युत क्रय अनुबंध करेगा अथवा ऐसी व्यवस्थाएं जो आयोग द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले स्थापित मापदण्डों का परिपालन करती हों, का निष्पादन करेगा । स्थापित किये जाने वाले मापदण्डों का स्थापित में आयोग के विभिन्न स्त्रोतों से विद्युत क्रय संबंधी, विद्युत के आवंटन तथा राज्य के भीतर पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों संबंधी दिशा–निर्देशों पर विचार होगा ।

28. वितरण अनुज्ञप्तिधारी, मध्यप्रदेश ट्रांसमीशन कंपनी तथा मध्यप्रदेश जनरेटिंग कंपनी तथा अन्य मध्यप्रदेश वितरण कंपनियों के मध्य आपसी परामर्श की एक कार्यावधि निम्न हेतु रहेगी :

ए) विद्युत कमियों की आपूर्ति हेतु,

बी) चक्रण संचिति (स्पिनिंग रिजर्व) अथवा आवृत्ति क्षमता आदि प्रदान किये जाने हेतु,

सी) तत्स्थानी अथवा द्विपक्षीय क्रय अथवा सक्रिय अथवा प्रतिक्रियात्मक शक्ति का अधिविकर्षण/अल्प विकर्षण किये जाने हेतु, तथा

डी) विद्युत अध्याप्ति योजना के विकास से संबंधित अन्य गतिविधियों हेतु ।

29. विद्युत क्रय हेतु मापदण्ड के निर्धारण में सामान्यतः न्यूनतम लागत के सिद्धान्त का अनुपालन किया जावेगा जो कि विद्युत प्रणाली के स्थायित्व, प्रणाली वोल्टेज, आवृत्ति की रूपरेखा तथा प्रणाली हानियों के अनुरूप होगा । मापदण्ड में अल्प–आवृत्ति अवधियों में विद्युत क्रय तथा भार–अवरोध (लोड–शेडिंग) हेतु प्रावधान भी रखा जावेगा ।

30. वितरण अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे समस्त समयों पर जब वोल्टेज न्यून हो, ग्रिड से प्रतिक्रियात्मक विद्युत शक्ति आयात न किये जाने संबंधी प्रयास करेगा । राज्य विद्युत प्रणाली में प्रतिक्रियात्मक क्षतिपूर्ति की आवश्यकताएं मुख्यतः क्षेत्रीय विद्युत मण्डल अथवा क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र की अनुशंसाओं पर आधारित होंगी ।

31. वितरण अनुज्ञप्तिधारी न्यून आवृत्तियों पर जबकि गैर–अनुसूचित अदला–बदली दर (यूआई रेट) अधिक हो, ग्रिड से अधिविकर्षण न किये जाने का प्रयास करेगा ।

32. वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नई विद्युत क्रय व्यवस्थाएं तथा अनुबंध अथवा विद्यमान विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) में किये जाने वाले कोई संशोधन, आवश्यकता, विद्युत क्रय की लागत के युक्तियुक्त होने तथा एक दक्ष मितव्ययी तथा समानता की कार्यप्रणाली को प्रोन्नत करने की दृष्टि से आयोग के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन होंगे ।

भाग 5 – अल्प–कालीन विद्युत अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) योजना

सम्पूर्ण आधारभूत संचरना :

33. वितरण अनुज्ञप्तिधारी सदैव अत्यधिक मितव्ययी स्त्रोत से तथा प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया से विद्युत का क्रय करेगा । अल्प–कालीन क्रयों हेतु, आयोग प्रक्षेपित मांग का विभिन्न स्तरों पर दर श्रेणी की रूपरेखा का निर्धारण करेगा ताकि वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग से प्रत्येक समय पर परामर्श की आवश्यकता के बिना त्वरित रूप से अल्पकालीन विद्युत क्रय का दायित्व वहन कर सके । तथापि, आयोग किसी भी समय इस प्रक्रिया के पर्यवेक्षण का चयन यह सुनिश्चित किये जाने हेतु कि सभी समयों पर वाणिज्यिक बोध तथा वित्तीय दूरदर्शिता का परिपालन किया गया है, स्वयं कर सकेगा । वह पूर्वानुमान मांग एवं विद्युत तथा उपलब्धता जिसका वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल्यांकन किया जाता है को सत्यापन किये जाने तथा की गई अवधारणाओं के औचित्य का निर्धारण किये जाने का चयन भी कर सकेगा ।

विद्युत आवश्यकता का निर्धारण :

34. प्रक्रिया के प्रारंभ में, मांग तथा ऊर्जा आवश्यकता के विस्तृत पूर्वानुमान की गणना की जावेगी । वितरण अनुज्ञप्तिधारी आगामी एक वर्ष के लिये मासिक आधार पर मांग तथा विद्युत आवश्यकता के निर्धारण को तैयार किये जाने हेतु उत्तरदायी रहेगा । प्रत्येक माह हेतु, दोनों अबाधित व बाधित मांग तथा विद्युत आवश्यकता प्रातःकालीन शीर्ष समय, सायंकालीन शीर्ष समय एवं अशीर्ष समय हेतु, समस्त प्रमुख उपभोक्ता श्रेणियों हेतु, प्रक्षेपित किया जावेगा । इसका उद्देश्य ग्रीष्म, रबी तथा अन्य मौसम तथा अन्य किन्हीं विशिष्ट कारणों से (जैसा कि त्यौहार अथवा मौसम में अचानक परिवर्तन होना जिससे मांग प्रभावित हो), मांग तथा विद्युत आवश्यकता का पूर्वानुमान किया जाना है जिससे अध्याप्ति का पूर्व–नियोजन किया जाना संभव हो ।

35. यह निर्धारण ऐतिहासिक आंकड़ो, व्यवसायिक योजनाओं के भविष्य के प्रक्षेपणों तथा पूर्व–अनुमानित परिणामों, दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रमों, विनिवेश योजनाओं, स्व–उत्पादन संयंत्रों, केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों एवं विद्युत के अन्य स्त्रोतों की संधारण अनुसूचियों के रूझानों एवं सांख्यिकी विश्लेषण पर आधारित होगा । विश्लेषण में विद्युत अधिनियम के सारगर्भित तात्पर्य तथा बड़े उपभोक्ताओं का खुली पहुंच प्रणाली को अपनाये जाने तथा केप्टिव उत्पादन, समानान्तर प्रचालन तथा खुली पहुंच पर भी विचार किया जावेगा ।

विद्युत उपलब्धता का निर्धारण :

36. मांग तथा ऊर्जा के पूर्वानुमान के साथ वितरण अनुज्ञप्तिधारी आगामी त्रैमास हेतु सभी माह में प्रातःकालीन शीर्ष, सायंकालीन शीर्ष तथा अशीर्ष समयों में विद्युत की उपलब्धता पर भी विचार करेगा ।

37. प्रदाय पूर्वानुमान अन्य सुसंगत तथा प्रदत्त कराई गई जानकारी के साथ–साथ निम्न पहलुओं पर भी विचार करेगा :

ए) विद्यमान सांझे संसाधन मय राज्य के स्वामित्व वाले, केन्द्रीय स्वामित्व वाले तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के उत्पादन संयंत्र ।
बी) उत्पादन के साथ–साथ वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से पूर्ण रूपेण अनुबंध करना ।
सी) योजना अवधि में ऊर्जा के विद्यमान स्त्रोतों में से प्रत्येक की विद्युत तथा क्षमता उपलब्धि का पूर्वानुमान करना ।
डी) प्रारंभ किये जाने वाले नवीन उत्पादन स्टेशन ।
ई) ग्रिड में आवृत्ति का रूझान तथा बिना उच्च गैर–अनुसूचित आदान–प्रदान प्रभारों को वहन करते हुए अधिविकर्षण की संभावना

निर्धारण में परामर्श अर्न्तनिहित करना :

38. वितरण अनुज्ञप्तिधारी उसके शीर्ष समय, अशीर्ष समय तथा सामान्य समय की मासिक आवश्यकता का विस्तृत प्रसार उसे अपनी वैबसाईट पर प्रविष्टि द्वारा करेगा । इस अर्हता की आपूर्ति हेतु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत तथा ऊर्जा उपलब्धता का निर्धारण शीर्ष समय, अशीर्ष समय तथा सामान्य समय हेतु मासिक आधार पर करेगा । वितरण अनुज्ञप्तिधारी यह निर्धारण राज्य सेक्टर उत्पादन कंपनियों, अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, केन्द्रीय सेक्टर उत्पादन कंपनियों तथा पारेषण कंपनियों/क्षेत्रीय विद्युत मण्डल, राष्ट्रीय/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से परामर्श द्वारा करेगा । वह व्यापारिक कंपनियों तथा ऊर्जा की बचत वाले राज्यों से संभावित उपलब्धता तथा देश भर में शीर्ष, अशीर्ष तथा सामान्य समयों में विद्युत की कीमत बाबत भी पूछताछ करेगा । वितरण अनुज्ञप्तिधारी उसकी इस आवश्यकता की आपूर्ति हेतु प्रतिस्पर्धा प्रस्ताव के आवेदन समस्त संभावित प्रदायकर्ता संस्थानों को उसके आशय का प्रस्ताव, उनके प्रस्तावों की प्राप्ति फैक्स, दूरभाष, ई–मेल आदि दर्शाते हुए निवेदन करेगा । वितरण अनुज्ञप्तिधारी यह सिद्ध करने के उद्देश्य से कि समस्त लघु–कालीन संभावित प्रदायकर्ताओं को उचित रूप से सूचित किया गया था, ऐसे समस्त अभिलेख आगामी दो वर्षो के लिये संधारित करेगा ।

लघु–कालीन विद्युत अध्याप्ति योजना :

39. उपरोक्त भार पूर्वानुमान के आधार पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी आगामी वर्ष की एक वार्षिक विद्युत अध्याप्ति योजना तैयार करेगा तथा इसे **मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग** को विद्युत अध्याप्ति योजना के अनुमोदन की प्राप्ति हेतु प्रस्तुत करेगा ।

40. लघु–कालीन विद्युत अध्याप्ति योजना में वर्ष के दौरान विद्युत तथा ऊर्जा की शेष आवश्यकता, उक्त समय जबकि उसकी आवश्यकता होगी, विद्यमान व्यवस्थाओं, लघु–कालीन व्यापारों की संभावनाओं, भार में कटौतियों, प्रतिस्पर्धा संबंधी आवेदन प्राप्ति की प्रस्तावित विधि के साथ–साथ भिन्न–भिन्न विकल्पों के मूल्यांकन के मापदण्डों को सम्मिलित करते हुए विचार किया जावेगा ।

41. लघु–कालीन विद्युत अध्याप्ति योजना एक न्यूनतम लागत योजना (वितरण अनुज्ञप्तिधारी पर न्यूनतम वित्तीय लागत का भार डालने वाली) होगी जिसका अन्तिम उद्देश्य समस्त उपभोक्ताओं को सुरक्षित तथा विश्वसनीय विद्युत प्रदाय के साथ–साथ विद्युत प्रदाय नियोजन तथा सुरक्षा मानकों की तुष्टि करते हुए आर्थिक रूप से जीवनक्षम टैरिफ दर उसे उपलब्ध कराना है ।

42. प्रत्येक वार्षिक योजना की प्रस्तुति में प्रातःकालीन शीर्ष, सायंकालीन शीर्ष तथा अशीर्ष समयों हेतु निम्न सम्मिलित होंगे :

ए) श्रेणीवार अबाधित मांग तथा आगामी त्रैमास के विद्युत शक्ति संबंधी पूर्वानुमान ।
बी) श्रेणीवार बाधित मांग तथा आगामी त्रैमास के प्रातःकालीन शीर्ष, सायंकालीन शीर्ष व अशीर्ष समयों के विद्युत शक्ति संबंधी पूर्वानुमान ।
सी) विद्यमान ऊर्जा स्त्रोतों में से प्रत्येक से योजना अवधि में विद्युत शक्ति तथा क्षमता उपलब्धता के पूर्वानुमान ।
डी) मांग पक्षीय प्रबंधन उपायों के माध्यम से पूर्वानुमान अवधि में आवश्यकताएं कम किये जाने संबंधी योजनाएं ।
ई) चालू वर्ष की अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अनुसार अनुमति प्राप्त विद्युत क्रय की लागत ।
एफ) चालू वर्ष हेतु दायर की गई तथा अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता पर उपरोक्त बिन्दुओं का प्रभाव, लक्ष्य क्रय से विचलन तथा इकाईयों द्वारा उत्पादन एवं उस पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव के रूप में ।
जी) चालू वर्ष के पिछले त्रैमास, चालू वर्ष के चालू त्रैमास तथा पूर्व वर्ष के आगामी त्रैमास के अन्तर्गत ग्रिड आवृत्ति का व्यवहार, ग्रिड से अधिविकर्षण की संभावनाओं का मूल्यांकन एक स्थिर लघु अथवा दीर्घ–कालीन व्यापार अनुबंधों के विकल्प के रूप में किया जाना ।

43. लघु–कालीन विद्युत अध्याप्ति योजना के अनुमोदन पश्चात, वितरण अनुज्ञप्तिधारी इसे परिष्कृत करेगा तथा इसे माह–पूर्व तथा सप्ताह–पूर्व आधार पर इसके विस्तृत ब्यौरे तैयार करेगा । सप्ताह–पूर्व योजना में मांग तथा विद्युत शक्ति की आवश्यकता का घंटावार पूर्वानुमान दिया जावेगा । इन योजनाओं में वर्षा, पूर्वानुमान अनुसार मौसम में होने वाला परिवर्तन, आने वाला अवकाश अथवा त्यौहार जैसे पहलुओं पर विचार किया जावेगा ।

लघु–कालीन विद्युत अध्याप्ति योजना के प्रस्तुतीकरण की समय सीमा :

44. लघु–कालीन विद्युत अध्याप्ति योजनाओं के प्रस्तुतीकरण की अन्तिम समय सीमा प्रत्येक वर्ष में आगामी 31 अक्टूबर होगी । वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक त्रैमास के आगामी प्रारंभिक माह की पद्रहवीं तिथि तक उक्त त्रैमास में किये गये लघु–कालीन क्रयों के विवरण प्रस्तुत करेगा । वितरण अनुज्ञप्तिधारी उक्त त्रैमास हेतु मूल्य तथा मात्रा में किये गये किसी परिवर्तन का कारण दर्शायेगा ।

आयोग द्वारा समीक्षा :

45. आयोग, लघु–कालीन विद्युत अध्याप्ति योजना की प्राप्ति से दो सप्ताह के भीतर ऐसी अतिरिक्त जानकारी तथा आंकड़े जैसा कि वह आवश्यक समझे, बुला सकेगा तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसी जानकारी पूछे जाने से दो सप्ताह के भीतर उसे प्रस्तुत करेगा ।

46. आयोग, विद्युत अध्याप्ति योजना पर चाही गई जानकारी हेतु अनुरोध की गई जानकारी की प्राप्ति तिथि से दो सप्ताह के भीतर अपने इस आशय से कि उपरोक्त पैरा के अन्तर्गत अनुरोध की गई जानकारी से आयोग संतुष्ट है, से उसे संसूचित करेगा । आयोग आगामी विचाराधीन वर्ष हेतु प्रातःकालीन शीर्ष, सायंकालीन शीर्ष तथा अशीर्ष समय हेतु विद्युत के मूल्य की रूपरेखा विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

47. वितरण अनुज्ञप्तिधारी, तत्पश्चात् किसी ऐसे उपलब्ध स्त्रोत से विनिर्दिष्ट सीमाओं के अन्तर्गत विद्युत अध्याप्ति हेतु स्वतंत्र होगा, जब तक कि एक पारदर्शी तथा मितव्ययी या संस्थागत विधितंत्र अंगीकृत किया जावे तथा वाणिज्यिक विचारों को मान्य किया जावे ।

विद्युत क्रय हेतु मापदण्ड :

48. विद्युत क्रय हेतु मापदण्ड के निर्धारण में सामान्यतः न्यूनतम लागत के सिद्धान्त का अनुपालन किया जावेगा जो कि विद्युत प्रणाली के स्थायित्व, प्रणाली वोल्टेज, आवृत्ति की रूपरेखा तथा प्रणाली हानियों के अनुरूप होगा । मापदण्ड में निम्न आवृत्ति अवधियों में विद्युत क्रय तथा भार–अवरोध (लोड–शेडिंग) हेतु प्रावधान भी रखा जावेगा ।

विद्युत क्रय में परिवर्तन :

49. वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी वर्ष में आयोग द्वारा अनुमोदित की गई विद्युत आवश्यकता से अधिक क्रय की गई किसी विद्युत की मात्रा अथवा विद्युत मिश्रण में कतिपय परिवर्तन पर आयोग द्वारा विचार किया जा सकेगा यदि यह वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारणों से है । आयोग द्वारा, तथापि, इस प्रकार क्रयों से की गई विद्युत से अर्जित राजस्व को, उक्त वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्य हानियों के आधार पर प्राक्कलित किया जावेगा । परिणामस्वरूप, आने वाली लागत तथा राजस्व को आगामी वर्ष के टैरिफ में समायोजित किया जावेगा ।

50. वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी वर्ष में किये गये विद्युत क्रय के कारण होने वाली कोई वित्तीय हानि अथवा लाभ, जो कि अनुच्छेद 49 के अन्तर्गत नहीं आती हो, को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जावेगा ।

51. गैर–अनुसूचित अदला–बदली प्रभारों (यू. आई. चार्जेज) को अनुज्ञेय विद्युत क्रय लागत की औसत दर पर अनुमति प्रदान की जावेगी ।

भाग 6 – विविध

विनियमों का परिपालन न किया जाना :

52. वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों का परिपालन न किये जाने की दशा में, ऐसा अर्थ–दण्ड जो कि आयोग उचित समझे, के साथ–साथ, वह स्व–प्रेरणा कार्यवाही विद्युत अधिनियम, 2003 के सुसंगत उपबंधों के अनुसार प्रारंभ कर सकेगा ।

आदेशों को जारी करना तथा व्यवसायिक निर्देश :

53. विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों तथा इन विनियमों के अध्यधीन, आयोग समय–समय पर इन विनियमों को लागू करने तथा प्रक्रिया जिसका परिपालन किया जाना है आदेश तथा व्यवसायिक निर्देश, जारी कर सकेगा ।

कठिनाईयां दूर करने की शक्तियां :

54. इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावशील बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर, आयोग किसी सामान्य तथा विशेष आदेश द्वारा, जो कि अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो राज्य भार प्रेषण केन्द्र, उत्पादकों, अनुज्ञप्तिधारियों तथा खुली पहुंच के क्रेताओं को ऐसे कृत्य करने या दायित्व स्वीकार करने हेतु निर्देशित कर सकेगा जो आयोग के विचार में कठिनाईयां दूर करने में आवश्यक तथा वांछनीय हों।

55. खुली पहुंच के क्रेता, उत्पादक, अनुज्ञप्तिधारी तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र, आयोग को एक आवेदन की प्रस्तुति द्वारा इन विनियमों की किन्हीं कठिनाईयों को दूर करने हेतु जो इन विनियमों के क्रियान्वयन से उत्पन्न हुई हों, हेतु उचित आदेश की प्राप्ति हेतु अभिव्यक्ति कर सकेंगे ।

संशोधन के अधिकार :

56. आयोग समय–समय पर इन विनियमों के किसी भी उपबंध में परिवर्धन, परिवर्तन, सुधार या संशोधन आवश्यक प्रक्रिया के परिपालन पश्चात् कर सकेगा ।

व्यावृत्ति :

57. इन विनियमों में कुछ भी आयोग की अर्न्तनिहित शक्तियों को ऐसे आदेश जो न्यायहित में या आयोग की प्रक्रियाओं में दोष रोकने के लिये जारी करना आवश्यक है सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगा।

58. इन विनियमों में कुछ भी आयोग को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, लिखित कारणों सहित यदि आयोग आवश्यक व उचित समझे तो ऐसी प्रक्रिया अपनाने में नहीं रोकेगा जो इन विनियमों के प्रावधानों से अन्यथा हो ।

59. इन विनियमों में विशिष्ट या अन्तर्गत कुछ भी आयोग को किसी अधिकार के उपयोग से नहीं रोकेगा जिसके लिये कोई विनियम नहीं बनाया गया हो तथा आयोग ऐसे विषयों, अधिकारों तथा कार्यों को उस प्रकार से, जेसे वह उचित समझे, निवर्तित कर सकेगा ।

निरसन :

60. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत क्रय एवं प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया) विनियम, 2004 जो अधिसूचना क्रमांक 3069 – मप्रविनिआ – 04 दिनांक 6.11.2004 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, सहपठित समस्त संशोधनों के जो विनियम की विषय वस्तु से प्रयोज्य हों, को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।

टीप : इस विद्युत क्रय एवं अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) प्रक्रिया विनियम, 2004 प्रथम पुनरीक्षण, 2006 के हिन्दी रूपांतरण की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा ।

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उप सचिव

ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

क्रमांक /म.प्र.वि.नि.आ./06 भोपाल, दिनांक–

प्रति,

उप नियंत्रक,
शासकीय मुद्रणालय,
भोपाल।

विषयः– अधिसूचना को भाग–4 (ग) में प्रकाशन बाबत्।

–0–

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (1) सहपठित धारा 86 (1) (बी) एवं 86 (1) (जी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों के अनुपालन हेतु, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {विद्युत क्रय एवं अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) प्रक्रिया} विनियम, 2004 प्रथम पुनरीक्षण, 2006 {आरजी–19 (आई), वर्ष 2006} बनाया है। इस अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी में लिपिबद्ध प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्न है। कृपय इसे राजपत्र साधारण भाग–4(ग) में यथाशीघ्र प्रकाशित करवाने का कष्ट करें। मुद्रित की गई अधिसूचना की 800 प्रतियां कृपया आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(अशोक शर्मा)
उप सचिव